



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 364 राँची, सोमवार,

19 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

31 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-110/2016-21386 (HRMS)--श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-628, दिनांक 08.08.2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा की योजनाओं में बिना कार्य कराये राशि की निकासी करने, जे०सी०बी० मशीन से कार्य कराने, फर्जी मस्टर रॉल तैयार कर राशि की निकासी करने आदि कुल-30 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7770, दिनांक 07.09.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। किन्तु कई स्मार के पश्चात् भी उनसे उत्तर अप्राप्त रहा। फलस्वरूप श्री कुमार के विरुद्ध गठित गंभीर आरोपो के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-1752(hrms), दिनांक 15.04.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-211, दिनांक 25.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित

30 आरोपों में से 15 आरोप को प्रमाणित एवं 08 आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा 07 आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) यद्यपि आरोप में वर्णित योजनायें विभिन्न पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं, किन्तु अधिकांश योजनाओं में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा कार्य किये जाने की पुष्टि जाँच दल द्वारा की गई है। अतः आरोपी पदाधिकारी द्वारा मनरेगा अन्तर्गत मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के कारण अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया।

(ii) अधिकांश योजनाओं में आरोपी के द्वारा FTO निर्गत करने से पूर्व योजना स्थल का पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा पंचायत सेवक एवं मुखिया द्वारा पारित एवं सत्यापित मस्टर रॉल के आधार पर मजदूरों के खाते में FTO के माध्यम से राशि हस्तान्तरित कर दी गई, जिसके लिये वे परोक्ष रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं।

(iii) कई योजनाओं में उदाहरण के तौर पर प्रखण्ड हेरहंज अन्तर्गत पंचायत हेरहंज के ग्राम हेरहंज में थाम से लेकर कुसमी नदी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना, प्रखण्ड हेरहंज अन्तर्गत पंचायत हेरहंज के ग्राम-हेरहंज की बुढ़ी गढ़हा में सिंचाई कूप निर्माण योजना, प्रखण्ड हेरहंज अन्तर्गत पंचायत हेरहंज के ग्राम-हेरहंज में अजय यादव की भूमि समतलीकरण योजना में बिना पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के सत्यापन के क्रमशः 2,08,008/- ₹0, 20,898/- ₹0 एवं 1,28,304/- ₹0 की निकासी प्रथम हस्ताक्षरी प्रखण्ड नाजीर की मिलीभगत से करने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, जिसके लिए आरोपी सीधे रूप से जिम्मेवार प्रतीत होते हैं।

(iv) आरोप संख्या-26 में वर्णित कई योजनाओं में कुल 9,10,764/- ₹0 की राशि बिना योजना स्वीकृत एवं कार्यालय आदेश के ही फर्जी मस्टर रॉल के आधार पर निकासी किये जाने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। यद्यपि आरोपी द्वारा इन योजनाओं में FTO के भुगतान पर बाद में रोक लगाने का आदेश दिया गया।

(v) आरोपी द्वारा उनके क्षेत्र में मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं में बड़े पैमाने पर जे०सी०बी० मशीन द्वारा कार्य कराये जाने के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किये जाने की बात प्रमाणित प्रतीत होती है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-751, दिनांक 03.02.2020 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-643, दिनांक 12.05.2020

द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-3267, दिनांक 13.07.2020 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से निम्न बिन्दु पर प्रतिवेदन की माँग की गई- (i) क्या इस मामले में संबंधित पंचायत सेवक तथा अन्य व्यक्तियों पर जिला स्तर से कार्रवाई की गयी है? (ii) JCB के प्रयोग पर जाँच टीम द्वारा क्या साक्ष्य दिया गया है?

उक्त के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1405, दिनांक 06.10.2020 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इसी क्रम में, श्री कुमार के पत्रांक-1760, दिनांक 24.11.2020 द्वारा पुनः विभाग में द्वितीय कारण पृच्छा का पूरक जवाब समर्पित किया गया है। श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय पूरक जवाब के समीक्षोपरांत उपायुक्त, लातेहार से पुनः विभागीय पत्रांक-2058, दिनांक 31.03.2021 द्वारा निम्न बिन्दु पर प्रतिवेदन की माँग की गई- (i) आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध दायर FIR की स्थिति क्या है? (ii) आरोपी पदाधिकारी से जो राशि वसूलनीय थी, उसकी क्या स्थिति है?

उक्त के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-382, दिनांक 18.10.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा एवं पूरक जवाब एवं उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रमाणित एवं आंशिक रूप से प्रमाणित सभी 23 आरोप मनरेगा योजनाओं में मशीन से कार्य कराकर मस्टर रॉल के आधार पर राशि निकालने एवं योजनाओं में गड़बड़ी करने से संबंधित है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त सभी योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत योजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका पंचायत सेवक (पंचायत सचिव), मुखिया एवं रोजगार सेवक का है। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत एक/दो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी भी पदस्थापित है। प्रखण्ड में मनरेगा अन्तर्गत योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में प्रखण्ड विकास विकास पदाधिकारी भी महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेवार है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार योजनाओं से संबंधित मस्टर रॉल एवं अभिश्रव, मुखिया, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक द्वारा पारित होने के पश्चात् मजदूरों के खाते में भुगतान हेतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा डिजीटल स्वीकृति दी गई है। उक्त से स्पष्ट है कि योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी हालांकि ग्राम पंचायत था, परन्तु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उन योजनाओं का स्थल जाँच किये बिना ही संबंधित मस्टर रॉल एवं अभिश्रव पर डिजीटल स्वीकृति प्रदान करते हुए भुगतान किया गया।

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के पत्रांक-2037, दिनांक 02.12.2016 अनुसार आरोप से संबंधित कुल 17 दोषी पदाधिकारियों /कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उप विकास आयुक्त के उक्त पत्र एवं पत्रांक-1090, दिनांक 24.05.2017 अनुसार सभी

17 पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कुल राशि मो० 48,92,042.56 के वसूली हेतु निलाम पत्र दायर करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज को निदेश दिया गया। उक्त प्रतिवेदन अनुसार आरोपी पदाधिकारी श्री आशीष कुमार के द्वारा कुल वसूलनीय राशि 13,44,479/- रुपये के विरुद्ध 2,00,041/- रुपये मात्र जमा किया गया है।

अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों (साक्ष्य सहित) एवं अन्य प्रस्तुत तथ्यों के समीक्षोपरांत, विभागीय पत्रांक-751, दिनांक- 03.02.2020 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर श्री आशीष कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज, लातेहार द्वारा समर्पित जवाब को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASISH KUMAR JHK/JAS/227	श्री आशीष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हेरहंज संप्रति- कार्यपालक पदाधिकारी, वासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
